19/3/26 पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] के

[illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] की। पत्रावली

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]. दाखिल दफ्तर

के आदेश [illegible] की।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र श्री हरीराम आयु 30 साल निवारी कुण्ड वाले हनुमान जी रेणी हनुमानपुरा करौली

—वादी

बनाम

1. राम अवतार पुत्र बृजु माली निवासी आर0टी0ओ0 ऑफिस के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0
2. शिवजी पुत्र देवी लाल आयु 45 साल निवारी कुण्ड वाले हनुमान के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0
3. कैलाश पुत्र ओपी आयु 40 साल निवासी गढी का गांव तहसील मण्डरायल जिला करौली राज0।
4. धर्मा पुत्र प्रभु जाति माली आयु 55 साल निवासी आर0टी0ओ0 ऑफिस के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0
5. महेन्द्र आयु 28
6. पिन्टू आयु 25
7. फालो सिंह आयु 24
8. देवेन्द्र आयु 22

(5–8) पुत्रान हरीराम जातियान माली निवासीयान कुण्डवाले हनुमान जी के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मु.नं. 35/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामगोपाल शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री गोपाल गुप्ता, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.03.2026 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–35/24 तारीख रजु:–23.09.2024

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र श्री हरीराम आयु 30 साल निवासी कुण्ड वाले हनुमान जी रेणी हनुमानपुरा करौली

––वादी

बनाम

1. राम अवतार पुत्र बृजु माली निवासी आर0टी0ओ0 ऑफिस के पीछे करौली तहसील व जिला करौली राज0
2. शिवजी पुत्र देवी लाल आयु 45 साल निवासी कुण्ड वाले हनुमान के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0
3. कैलाश पुत्र ओपी आयु 40 साल निवासी गढी का गांव तहसील मण्डरायल जिला करौली राज0।
4. धर्मा पुत्र प्रभु जाति माली आयु 55 साल निवासी आर0टी0ओ0 ऑफिस के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0
5. महेन्द्र आयु 28
6. पिन्टू आयु 25
7. फालो सिंह आयु 24
8. देवेन्द्र आयु 22

पुत्रान हरीराम जातियान माली निवासीयान कुण्डवाले हनुमान जी के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0

––प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक:–19.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पूर्वजो की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 4348 रकवा 0.0400 चा0, ख0न0 4349 रकवा 0.0500, ख0न04350 रकव 0.0200 चा0, ख0न0 4353 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4355 रकवा 0.0800 चा0, ख0न0 4356 रकवा 0.0100 गे0मु0 आ0, ख0न0 4357 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4362 रकवा 1.0300 चा0, कुल0 खसरा 9 कुल रकवा 2.15 वाके शहर करौली वार्ड नं0 9 पटवार हल्का में स्थित है। जिसमें वादी के पिता का हिस्सा 1/3 मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072–2075 दर्ज हैं। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 का कोई भी विवादित भूमि में सरोकार नही हैं। वादी का पिता आये दिन शराब पीकर इधर उधर घूमता रहात है एवं ये प्रति0 नं0 1 लगा0 4 उसे अपने झासे में लेकर इकरार नामा इत्यादि लिखवाकर उक्त जमीन को हडप करना चाहते हैं इस कारण वादी को अगर रहन व्यय हो जायेगी तो वादी को

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

अपूर्णीय क्षति होगी जिसमें वादी को खातेदारी अधिकारी प्रभावित होगे इस कारण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने का अधिकारी है। वादी के पिता की अवस्था अस्वस्थ है। यह आये दिन शराब का सेवन करता है जिसको प्रतिवादीगण खिला पिला कर बयनामा कराने पर उतारु है यदि वह अपेन मकसद में कामयाब हो गये तो परिवार का जीवन उपार्जन कर सहारा समाप्त हो जावेगा। हरिराम के छोटे छोटे बच्चे है 2 नाती है। एवं अन्य कृषि कार्य के अलावा कोई भी रोजगार वादी के पास उपलब्ध नही है। इस कारण वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जाना जरूरी है। वादी अकेला कर्ता खानदान है। वादी ही पूरे परिवार का पालने पोषण करता है। दिनांक 02.09.2024 को प्रतिवादी 1 लगा0 4 के यह ऐलानिया धमकी दी है की हम उक्त भूमि को हरिराम से खरीद रहे हैं। तुझ पर जो हो सके कर लेना। इस कारण वाद कारण का उदय दिनांक 02.09.2024 को वादी को धमकी देने के कारण शहर करौली में हुआ। वादी के पूर्वजो की भूमि को यदि पति ने खुर्द–बुर्द कर दिया तो वाद का दावा करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। इस कारण वादी जरिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जावे कि विवादित नंबर 4348, 4349, 4350, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4362 कुल किता 9 कुल रकवा 2.15 विस्वा वाके शहर पटवार हल्का 9 में किसी भी दीगर से रहन व्यय नही किया जावें व प्रतिवादीगण किसी भी नीति से अन्यत्र व हस्तक्षेप नही करें। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। अन्य दादरसी जो भी करीने इंसाफ हो अता फरमाई जावें। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 व 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 2 व 4 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी के पूर्वजो की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 4348 रकवा 0.0400 चा0, ख0न0 4349 रकवा 0.0500, ख0न04350 रकव 0.0200 चा0, ख0न0 4353 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4355 रकवा 0.0800 चा0, ख0न0 4356 रकवा 0.0100 गे0मु0 आ0, ख0न0 4357 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4362 रकवा 1.0300 चा0, कुल0 खसरा 9

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कुल रकबा 2.15 वाके शहर करौली वार्ड नं0 9 परगना हल्का में स्थित है। जिसमें वादी के पिता का हिस्सा 1/3 मुताबिक जमाबंदी संवत 2072–2075 दर्ज है। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 का कोई भी विवादित भूमि में सरोकार नही हैं। वादी का पिता आये दिन शराब पीकर इधर उधर घूमता रहात है एवं ये प्रति0 नं0 1 लगा0 4 उसे अपने झांसे में लेकर इकरार नामा इत्यादि लिखवाकर उक्त जमीन को हडप करना चाहते हैं इस कारण वादी को अगर रहन व्यय हो जायेगी तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिससे वादी को खातेदारी अधिकारी प्रभावित होगे इस कारण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं। वादी के पिता की अवस्था अस्वस्थ है। यह आये दिन शराब का सेवन करता है जिसको प्रतिवादीगण खिला पिला कर वयनामा कराने पर उताय हैं यिद वह अपेन मकसद में कामयाब हो गये तो परिवार का जीवन उपार्जन कर सहारा समाप्त हो जावेगा। हरिराम के छोटे छोटे बच्चे है 2 नाती हैं। एवं अन्य कृषि कार्य के अलावा कोई भी रोजगार वादी के पास उपलब्ध नही है। इस कारण वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना जरूरी है। वादी अकेला कर्ता खानदान है। वादी ही पूरे परिवार का पालने पोषण करता है। दिनांक 02.09.2024 को प्रतिवादी 1 लगा0 4 के यह ऐलानिया धमकी दी है की हम उक्त भूमि को हरिराम से खरीद रहे हैं। तुझ पर जो हो सके कर लेना। इस कारण वाद कारण का उदय दिनांक 02.09.2024 को वादी को धमकी देने के कारण शहर करौली में हुआ। वादी के पूर्वजो की भूमि को यदि पति ने खुर्द–बुर्द कर दिया तो वाद का दावा करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। इस कारण वादी जरिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है एवं **प्रतिवादी नंबर 1, 5, 7, 8 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** आराजीयात कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार रहे शेष इबारत गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजीयात में प्रतिवादी नंबर 2 शिवजी का 1/3 हक व हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 2 व प्रतिवादी नंबर 5 लगायत 8 व वादी के पिता हरिराम ने आराजीयात का मौके पर वाहमी बंटवारा काफी समय पूर्व कर लिया था तथा हरिराम ने अपने हिस्से की विवादित आराजीयात में आवासीय भूखण्ड बनाकर विक्रय किये थे जिनमें से वादी वहम प्रतिवादीगण नंबर 5, 7,व 8 के पिता हरीराम ने भूखण्ड संख्या 2,3, व 4 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी सं0 1 को अपनी घरेलू जायज

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आवश्यकता के लिये विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया था। तभी से प्रतिवादी नं0 1 अपनी खरीदसुदा भूखण्डों नंबर 2, 3, व 4 पर बहैसियत मालिक व स्वामी काबिज चले आ रहे है। इसलिये वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावे में खातेदारी हरीराम को पक्षकार बनाये वगैर दावा चलने योग्य नही है। वादी हम प्रतिवादीगण नंबर 5, 7, 8 के पिता का स्वर्गवास हो चुका इसलिये वादी किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी व प्रतिवादीगण नंबर 5, 7, 8 के पिता हरीराम जिन्दा थे। वादी ने बदयान्ति से यह दावा जानबूझकर प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने व आर्थिक नुकसान पहुंचाने की गरज से पेश यिका जै जो वादी का वाद चलने योग्य नही है। और मय खर्चा जवाबदारान प्रतिवादीगण खारिज होने योग्य है। दिनांक 2.9.2024 को हम जवाबदारान प्रतिवादीगण ने वादी को कोई धमकी नही दी। वादी ने धमकी देने बात गलत व असत्य दर्ज की है वादी ने समस्त तथ्य मनगढंत व असत्य दर्ज किये है वादी को हरिराम के जीवित रहते हुए वाद लाने का कोई अधिकार नही है। हरिराम के जीवित रहते हुये वादी को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नही हो सकते है। इस मद में वादी एवं प्रतिवादीगण नंबर 5, 7, 8 के पिता हरीराम जीवित होने पर भी यह दावा गलत पेश किया गया है।इसलिये दावा वादी चलने योग्य नही हैं। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध जवाबदारान प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये हैः–

1. आया कि वादी वादपत्र में वर्णित विवादित आराजीयात खसरा नं0 4348, 4349, 4350, 4353, 4356, 4357, 4362 वाके ग्राम कस्बा करौली तहसील व जिला करौली वादी व प्रतिवादी की संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी है। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।
——वादीगण
2. आया वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। क्योंकि बंटवारे का दावा लाये वगैर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नही है और खारिज होने योग्य है।
——प्रतिवादीगण
3. अनुतोष :–

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी ओमप्रकाश की पीडब्लयू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा काई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील वादी का कथन है कि वादी के पूर्वजो की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 4348 रकवा 0.0400 चा0, ख0न0 4349 रकवा 0.0500, ख0न04350 रकव 0.0200 चा0, ख0न0 4353 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4355 रकवा 0.0800 चा0, ख0न0 4356 रकवा 0.0100 गे0मु0 आ0, ख0न0 4357 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4362 रकवा 1.0300 चा0, कुल0 खसरा 9 कुल रकवा 2.15 वाके शहर करौली वार्ड नं0 9 पटवार हल्का में स्थित है। जिसमें वादी के पिता का हिस्सा 1/3 मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072–2075 दर्ज हैं। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 का कोई भी विवादित भूमि में सरोकार नही हैं। वादी का पिता आये दिन शराब पीकर इधर उधर घूमता रहात है एवं ये प्रति0 नं0 1 लगा0 4 उसे अपने झासे में लेकर इकरार नामा इत्यादि लिखवाकर उक्त जमीन को हडप करना चाहते हैं इस कारण वादी को अगर रहन व्यय हो जायेगी तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसमें वादी को खातेदारी अधिकारी प्रभावित होगे इस कारण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं। वादी के पिता की अवस्था अस्वस्थ है। यह आये दिन शराब का सेवन करता है जिसको प्रतिवादीगण खिला पिला कर वयनामा कराने पर उताय हैं यिद वह अपेन मकसद में कामयाब हो गये तो परिवार का जीवन उपार्जन कर सहारा समाप्त हो जावेगा। हरिराम के छोटे छोटे बच्चे है 2 नाती हैं। एवं अन्य कृषि कार्य के अलावा कोई भी रोजगार वादी के पास उपलब्ध नही है। इस कारण वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना जरूरी है। वादी अकेला कर्ता खानदान है। वादी ही पूरे परिवार का पालने पोषण करता है। दिनांक 02.09.2024 को प्रतिवादी 1 लगा0 4 के यह ऐलानिया

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

धमकी दी है की हम उक्त भूमि को हरिराम से खरीद रहे हैं। तुझ पर जो हो सके कर लेना। इस कारण वाद कारण का उदय दिनांक 02.09.2024 को वादी को धमकी देने के कारण शहर करौली में हुआ। वादी के पूर्वजो की भूमि को यदि पति ने खुर्द–बुर्द कर दिया तो वाद का दावा करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। इस कारण वादी जरिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जावे कि विवादित नंबर 4348, 4349, 4350, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4362 कुल किता 9 कुल रकवा 2.15 विस्वा वाके शहर पटवार हल्का 9 में किसी भी दीगर से रहन व्यय नही किया जावें व प्रतिवादीगण किसी भी नीति से अन्यत्र व हस्तक्षेप नही करें। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी के पूर्वजो की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 4348 रकवा 0.0400 चा0, ख0न0 4349 रकवा 0.0500, ख0न04350 रकव 0.0200 चा0, ख0न0 4353 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4355 रकवा 0.0800 चा0, ख0न0 4356 रकवा 0.0100 गे0मु0 आ0, ख0न0 4357 रकवा 0.0100 चा0, ख0न0 4362 रकवा 1.0300 चा0, कुल0 खसरा 9 कुल रकवा 2.15 वाके शहर करौली वार्ड नं0 9 पटवार हल्का में स्थित है। जिसमें वादी के पिता का हिस्सा 1/3 मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072–2075 दर्ज हैं। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 का कोई भी विवादित भूमि में सरोकार नही हैं। वादी का पिता आये दिन शराब पीकर इधर उधर घूमता रहात है एवं ये प्रति0 नं0 1 लगा0 4 उसे अपने झासे में लेकर इकरार नामा इत्यादि लिखवाकर उक्त जमीन को हडप करना चाहते हैं इस कारण वादी को अगर रहन व्यय हो जायेगी तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसमें वादी को खातेदारी अधिकारी प्रभावित होगे इस कारण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं। वादी के पिता की अवस्था अस्वस्थ है। यह आये दिन शराब का सेवन करता है जिसको प्रतिवादीगण खिला पिला कर वयनामा कराने पर उताय हैं यिद वह अपेन मकसद में कामयाब हो गये तो परिवार का जीवन उपार्जन कर सहारा समाप्त हो जावेगा। हरिराम के छोटे छोटे बच्चे है 2 नाती हैं। एवं अन्य कृषि कार्य के अलावा कोई भी रोजगार वादी के पास उपलब्ध नही है। इस कारण वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना जरूरी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

है। वादी अकेला कर्ता खानदान है। वादी ही पूरे परिवार का पालने पोषण करता है। दिनांक 02.09.2024 को प्रतिवादी 1 लगा0 4 के यह ऐलानिया धमकी दी है की हम उक्त भूमि को हरिराम से खरीद रहे हैं। तुझ पर जो हो सके कर लेना। इस कारण वाद कारण का उदय दिनांक 02.09.2024 को वादी को धमकी देने के कारण शहर करौली में हुआ। वादी के पूर्वजो की भूमि को यदि पति ने खुर्द–बुर्द कर दिया तो वाद का दावा करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। इस कारण वादी जरिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है एवं आराजीयात करवा करौली में स्थित होना स्वीकार रहे शेष इबारत गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजीयात में प्रतिवादी नंबर 2 शिवजी का 1/3 हक व हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 2 व प्रतिवादी नंबर 5 लगायत 8 व वादी के पिता हरिराम ने आराजीयात का मौके पर वाहमी बंटवारा काफी समय पूर्व कर लिया था तथा हरिराम ने अपने हिस्से की विवादित आराजीयात में आवासीय भूखण्ड बनाकर विक्रय किये थे जिनमें से वादी वहम प्रतिवादीगण नंबर 5, 7,व 8 के पिता हरीराम ने भूखण्ड संख्या 2, 3, व 4 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी सं0 1 को अपनी घरेलू जायज आवश्यकता के लिये विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया था। तभी से प्रतिवादी नं0 1 अपनी खरीदसुदा भूखण्डों नंबर 2, 3, व 4 पर वहैसियत मालिक व स्वामी काबिज चले आ रहे है। इसलिये वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावे में खातेदारी हरीराम को पक्षकार बनाये वगैर दावा चलने योग्य नही है। वादी हम प्रतिवादीगण नंबर 5, 7, 8 के पिता का स्वर्गवास हो चुका इसलिये वादी किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी व प्रतिवादीगण नंबर 5, 7, 8 के पिता हरीराम जिन्दा थे। वादी ने बदयान्ति से यह दावा जानबूझकर प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने व आर्थिक नुकसान पहुंचाने की गरज से पेश यिका जै जो वादी का वाद चलने योग्य नही है। और मय खर्चा जवाबदारान प्रतिवादीगण खारिज होने योग्य है। दिनांक 2.9.2024 को हम जवाबदारान प्रतिवादीगण ने वादी को कोई धमकी नही दी। वादी ने धमकी देने बात गलत व असत्य दर्ज की है वादी ने समस्त तथ्य मनगढंत व असत्य दर्ज किये है वादी को हरिराम के जीवित रहते हुए वाद लाने का कोई अधिकार नही है। हरिराम के जीवित रहते हुये वादी को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नही हो

करौली (राज.)

सकते है। इस मद में वादी एवं प्रतिवादीगण नंबर 5, 7, 8 के पिता हरीराम जीवित होने पर भी यह दावा गलत पेश किया गया है।इसलिये दावा वादी चलने योग्य नही हैं। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध जवाबदारान प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्ररतुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक बिन्दू संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में स्वंय वादी ओमप्रकाश के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 पेश की है जिसमें वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है एवं शिवजी पुत्र देवीलाल का 1/3 हिस्सा है एवं पप्पू पुत्र रामस्वरूप का 1/6 हिस्सा है एवं सीताराम पुत्र रामस्वरूप का 1/6 हिस्सा है। वादीगण ने दावा में सह खातेदारान पप्पू व सीताराम को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। भूमि का आज दिवस तक वादी व अन्य सह खातेदारान के मध्य आज दिवस तक बंटवारा नहीं हुआ है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 से साबित है एवं वादी ने जिरह में स्वीकार किया है कि भूमि में प्लांट विक्रय हो चुके है। वादी भूमि का सह खातेदार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा बिना सह खातेदारों को पक्षकार बनाये प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादी वादग्रस्त आराजी का सह खातेदार है। वादी द्वारा सह खातेदार पप्पू व सीताराम पुत्रान रामस्वरूप को पक्षकार नहीं बनाया है और भूमि का जमांबदी प्रस्तुत प्रदर्श–1 के अनुसार आज दिवस तक बंटवारा नहीं होना प्रकट होता है। दावा वादी बिना सह खातेदारान पप्पू व सीताराम को

करौली (राज०)

पक्षकार बनाये वगैर पक्षकारों के कुसंयोजन होने से चलने योग्य नहीं है और वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली